क्रम-संख्या-208

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2007

श्रावण 12, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1439/79-वि-1-07-1(क)20-2007

लखनऊ, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जन. 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2005 का निरसन

2-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक को और उसी दिनांक को धारा 4 की उपधारा (5) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे मानो वे आरम्भ से ही निकाल दिये गये हों।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2007 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 का अधिनियमन राज्य विधि के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने हेतु राज्य में राज्य विधि आयोग का गठन करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। उक्त अधिनियम दिनांक 12 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ था। राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देश्यों के लिए राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था उनकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में राज्य विधि आयोग को बनाये रखना अनावश्यक और उद्देश्यहीन हो गया था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधि आयोग को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 1439/LXXIX-V-1-07-1(Ka)20-2007
Dated, Lucknow August 3, 2007

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhi Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2007.

THE UTTAR PRADESH STATE LAW COMMISSION (REPEAL) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 20 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.

Repeal of U.P Act no. 3 of 2005

2. (1) The Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2005 is hereby repealed.

(2) On and from the date of repeal of the Act referred to in sub-section (1) the provisions of sub-section (5) of section 4 shall not apply as if they have been *omitted* ab initio.

Repeal of U.P. Ordinance no. 4 of 2007

3. The Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2005 was enacted to provide for the constitution of State Law Commission in the State for identifying the matters for the reform of State Laws. The said Act come into force on January 12, 2005. After the constitution of the State Law Commission it was felt that the objectives for which the Law Commission was constituted were not being fulfilled by the State Law Commission. In such situation the continuance of the State Law Commission had become unnecessary and aimless. It was, therefore, decided to repeal the said Act in order to abolish the State Law Commission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 4 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

P.V. KUSHWAHA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 336 राजपत्र-(909)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 184 सा० विधायी-(910)-2007-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।